During the year 1992-93, 10307.61 MTs of foodgrains in Government stocks were reported to have been damaged in the godowns held/hired by the Food Corporation of India.

(b) and (c) Fresh applications for grant of licence for the manufacture of potable alcohol from non-molasses based raw-materials, were invited by the Government between 4-4-1988 and 16-3-1991. Applications received after 16-3-1991 are not being entertained.

**Importing Chicken**

4646. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether he has seen 'The Poineer' report of 2nd February, 1994 regarding Kentucky Fried Chicken remarks that Indian Chicken is not suitable for them; and

(b) whether Government have conceded their demand to import chicken from U.S.A.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) Yes, Sir.

(b) The company has not made any request for permission for import of chicken.

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश**

4647. **श्री वीरेन जे० शाह :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक भारतीय वैज्ञानिक श्री एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित "इटरनेशनल कमीशन आन पीस एण्ड फूड" के उस प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार खाद्य प्रसस्करण उद्योगों में सीमित पूंजी निवेश करके भारत में भारी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त कमीशन के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रतिवेदन में व्यक्त की गई राय की प्रमाणिकता की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के निष्कर्ष कया हैं ;

(ङ) यदि सरकार प्रतिवेदन में व्यक्त की गई राय से सहमत है तो क्या वह छोटे और कुटीर उद्योगों को आरक्षित सूची में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को शामिल करने के संबंध में निर्णय लेगी ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई)** (क) से (च) "इटरनेशनल कमीशन आन पीए एड फूड" द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में देश को, उपयोग में न लायी गयी विशाल संभावनाओं कोओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और उन्हें सपन्नता में बदलने के उपाय बताए गये हैं । उक्त दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्य अतिरिक्त 15 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के अन्तर्गत लाने के अलावा ग्रामीण, शहरी और गरीब बेरोजगार युवकों के लिए पूरे वर्ष अतिरिक्त कार्य जुटाना तथा अतिरिक्त आय और अतिरिक्त निर्यात जुटाना है । दस्तावेज में उल्लिखित कार्यनीति में कृषि आधारित व्यवसाय कवर होते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ खाद्यान्न, कपास, चीनी, बागवानी, अक्वा कलचर, रेशम उत्पादन, तिलहन, डेरी और अन्य फसलें शामिल हैं ।

विभिन्न प्रकार के कृषि आधारित व्यवसायों को सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी एवं रोजगार जुटाने के लिए परिवर्तनकारी विचारों का समर्थन करने के वास्ते छोटे कृषकों केलिए कृषि व्यवसाय संघ की स्थापना करने का सरकार का प्रस्ताव है ।